

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2026/205292/MRB/MORADABAD/3538/CFO

दिनांक: 25-06-2026

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **DELHI PUBLIC SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **70,71 VILLAGE KUCHAWALI,0,MORADABAD** तहसील - **KANTH**, प्लॉट एरिया **12600.00 sq.mt**, कुल कवर्ड एरिया **8656.37** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
school	3	0	12.42 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **DELHI PUBLIC SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक **27-06-2026** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **SANDEEP KUMAR JAIN pushpanjali1142@gmail.com 9837890924** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **02-07-2026** से **01-07-2031** तक **5** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स **DELHI PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **DELHI PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : एफएसओ श्री ज्ञानप्रकाश शर्मा द्वारा अपलोड मानचित्र/अभिलेखों का परीक्षण तथा स्थलीय निरीक्षण किया गया तो भवन में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाएं एनबीसी 2016 व उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा नियमावली 2024 के अनुसार मानकों के अनुरूप स्थापित पाई गई। विद्युत सुरक्षा निदेशालय का विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अर्ह अधिकर्ता से वर्ष के जनवरी व जुलाई माह में भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं की कार्यशीलता का प्रमाण-पत्र विभाग को प्रेषित करें तथा फायर उपकरणों का ए0एम0सी0/मरम्मत अर्ह एजेन्सी से करायी जाए। अपलोड अभिलेखों में किसी प्रकार का विचलन पाया जाता है तो निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा। एफएसओ की संस्तुति आख्या के आधार पर निर्गत।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By

(RAJEEV KUMAR PANDEY)

[6C6B7CD87F8DA0280481F96BE77A196410E6956C]

02-07-2026

निर्गत किये जाने का दिनांक : 02-07-2026

स्थान : MORADABAD